न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 51/2019

1– लालुराम पुत्र श्री नारायणराम
2– डूगलाराम
3– पूर्णाराम पुत्रगण श्री अगराराम जाति तमाम मेघवाल निवासीगण तमाम उवारी तहसील जायल जिला नागौर।

.....वादीगण

बनाम

1– रामचन्द्र
2– शंकरराम पुत्रगण जवानाराम
3– पूनी
4– ग्यारसी पुत्रियां जवानाराम
5– हिराराम पुत्र तिलोकराम
6– मांगाराम पुत्र गेनाराम
7– श्रवणराम
8– धर्माराम पुत्रगण डूंगाराम
9– गीता
10– छोटी
11– रूकमा पुत्रियां अगराराम
12– झूगरराम
13– भागीरथ पुत्रगण गेनाराम
14– लादूराम
15– मदनलाल
16– मोहनलाल पुत्रगण खेमाराम
17– पारवीदेवी पुत्री किस्तुराराम जातियान तमाम मेघवाल निवासीगण तमाम उवासी तहसील जायल जिला नागौर।
18– एस.बी.बी.जे. शाखा कसनाउ
19– एस.बी.आई. शाखा छोटी खाटू
20– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री ओमप्रकाश गोदारा वादीगण की और से।
2– श्री रामप्रकाश बेदा प्रतिवादी सं. 01 से 11 व 14 से 17 की और से।

सहायक कलक्टर
(उप. खं. अ.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.07.2019

वादी वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के वडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा उवारी के खेत खसरा नम्बर 255 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खेत खसरा नं. 256 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा, खेत खसरा नं. 357 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खेत खसरा नं. 358 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा, खेत खसरा नं. 44 रकबा 15 बीघा, खेत खसरा नं. 95 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2068 की आखातीज को कर लिया है। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार है:–

1. यह है कि वादी सं. 01 लालुराम के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा उवारी के खेत खसरा नं. 255 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खेत खसरा नं. 256 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा, खेत खसरा नं. 357 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा एवं खेत खसरा नं. 358 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा घोषित किया जाता है अन्य प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।
2. वादी सं. 02 डगलाराम के हक बंट खातेदारी में वाके मौजा उवारी खेत खसरा नं. 44 रकबा 15 बीघा घोषित किया जाता है।
3. वादी सं. 03 पूर्णाराम के हकबंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा ~~उवारी~~ पिपिया के खेत खसरा नं. 95 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा घोषित किया जाता है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 03 के उप पैरा क ख व ग के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 11 व 14 से 17 की ओर से वकील श्री रामप्रकाश वेंदा ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 से 11 व 14 से 17 की ओर से इनकी पहचान देकर इन की ओर से ईकबाली जवाब पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 से 11 व 14 से 17 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 व 11 व 14 से 17 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार ज़ायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

सहायक कलक्टर
(प्रो. वां.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारो मे सहमति होने के कारण ईकवाली जवाब के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. यह है कि वादी सं. 01 लालुराम के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा उवारी के खेत खसरा नं. 255 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा, खेत खसरा नं. 256 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा, खेत खसरा नं. 357 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा एवं खेत खसरा नं. 358 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा घोषित किया जाता है अन्य प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।
2. वादी सं. 02 डगलाराम के हक बंट खातेदारी में वाके मौजा उवासी खेत खसरा नं. 44 रकबा 15 बीघा घोषित किया जाता है।
3. वादी सं. 03 पूर्णाराम के हकबंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा उवासी के खेत खसरा नं. 95 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा घोषित किया जाता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 26.07.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner